संख्या-68/2015/1227/26-3-2015-10(7)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2015

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-36/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-28.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालन हेतु किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0- 18.65 लाख (रू0 अट्ठारह लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क.सं.	मद संख्या व मद नाम	आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि
1	25-लघु निर्माण	4.40
	26-मशीने और सज्जा उपकरण और संयंत्र	14.25
	योग-	18.65

(रू0 अट्ठारह लाख पैंसठ हजार मात्र)

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का तुरन्त व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धनराशि का आहरण कदापि न किया जाये।

(5)- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समय से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और जो धनराशि अवशेष बच जाये उसे शासन को समय से समर्पित किया जायेगा।

(6)- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-आयोजनागत-02-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-06-अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय-25-लघु निर्माण-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-68/2015/1227(1)/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
5-बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
6-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।